बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

दिनांक –11\04\ 2025

सं० सं०–15/खा०-15-05/2018 482(15)/स्वा० – अधिसूचना संख्या – .... दिनांक –.............................. का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(मनोज कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

Government of Bihar
Health Department
Notification

File No.- 15/KHA-15-05/2018 - ..../ Patna, dated - / /2025

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to amend the "Bihar Drug Control Laboratory Technical Employee Cadre Rules, 2019" and makes the following rules:-

2. Short title, extent and commencement. -

(1) These rules may be called as the "Bihar Drug Control Laboratory Technical Employee Cadre (Amendment) Rules, 2025".

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of publication in the official gazette.

3. Substitution of column 6 against Serial No. 1, 2, 3 and 4 of the appendix related to Rule 4 of "Bihar Drug Control Laboratory Technical Employee Cadre Rules, 2019".

Column 6 against Serial No. 1, 2, 3 and 4 of the appendix relating to rule 4 of the said rules is substituted by the following-

1. Selection of candidates for appointment to basic category posts (Government Analyst, Assistant Bacteriologist, Scientific Assistant and Technician (Bench Chemist)) of all sub-cadres viz. Government Analyst Sub-Cadre, Bacteriologist Sub-Cadre, Senior Scientific Assistant Sub-Cadre and Technician Sub-Cadre under "Bihar Drug Control Laboratory Technical Employee Cadre" shall be done by the Commission on the basis of written competitive examination and work experience. The syllabus of written competitive examination shall be the same as prescribed by the Commission in consultation with the department. Total marks prescribed for written competitive examination and work experience shall be 100. These 100 marks shall be determined as follows:-

(i) For marks obtained in competitive examination -**75 marks**

(ii) Weightage of maximum 25 marks @ five marks per year (for part of a year, proportional marks obtained by multiplying the number of working days by 5 and then dividing by 365 shall be added) will be given for satisfactory service rendered by the candidate in equivalent post on contractual basis for any non-private laboratories(such as Bihar Government, Central Government, Municipality, Panchayati Raj Institutions and other Public Sector Undertakings including Military Laboratory) under State of Bihar- **25 marks**

Total marks - 100 marks

Note:- (a) The marks to be awarded to a candidate for marks obtained in the competitive examination shall be determined by multiplying the percentage of total marks obtained in the said competitive examination by a factor of 0.75. For example, if a candidate has obtained 60 percent marks in competitive examination, then he will be given **60 × 0.75 = 45** marks.

(b) The benefit of weightage shall be admissible only to those candidates who obtain the minimum qualifying marks.

By order of the Governor of Bihar,

Sd/-

(Manoj Kumar Singh)
Secretary to the Government

Memo No. – 15/KHA-15-05/2018 - .... **Patna, dated - / /2025**
Copy forwarded to E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in Forth coming issue of extra ordinary Gazette.

Sd/-

Secretary to the Government

Memo No. – 15/KHA-15-05/2018 - 482(15) Patna, dated - 11 / 04/2025

Copy forwarded to the Accountant General (A & E), Bihar, Patna/ Secretary, BPSC, Patna/Secretary, BTSC, Bihar/ I/C Officer, Finance (PCFC) Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

Secretary to the Government

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या–15/खा०–15–05/2018/स्वा०, पटना, दिनांक –..........2025

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल **"बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग नियमावली 2019"** को संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

2. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ । –

(1) यह नियमावली **"बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2025"** कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

3. **"बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग नियमावली 2019" के नियम 4 से संबंधित परिशिष्ट के क्रम संख्या 1, 2, 3 एवं 4 के सम्मुख स्तम्भ 6 का प्रतिस्थापन।** – उक्त नियमावली के नियम 4 से संबंधित परिशिष्ट के क्रम संख्या 1, 2, 3 एवं 4 के सम्मुख स्तम्भ 6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है –

1. "बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग" के अंतर्गत सभी उपसंवर्गों यथा – **सरकारी विश्लेषक उपसंवर्ग, जीवाणुविद् उपसंवर्ग, वरीय वैज्ञानिक सहायक उपसंवर्ग तथा टेक्नीशियन उपसंवर्ग** के मूल कोटि के पदों (सरकारी विश्लेषक, सहायक जीवाणुविद्, वैज्ञानिक सहायक तथा टेक्निशिन (बेन्च केमिस्ट) पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन आयोग द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर किया जायेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा, जो विभाग के परामर्श से आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के लिए कुल निर्धारित अंक 100 होंगे। इन 100 अंकों का निर्धारण निम्नानुसार होगा :–

(i) प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए – **75 अंक**

(ii) बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी भी गैर निजी – **25 अंक**

प्रयोगशालाओं (यथा बिहार सरकार, केन्द्र सरकार, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थानों एवं अन्य लोक संस्थानों, सैनिक प्रयोगशाला सहित) में अनुबंध के आधार पर पूर्व में समकक्ष पद पर अभ्यर्थी द्वारा प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम पाँच अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंको की अधिमानता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा) दी जाएगी।

कुल अंक — 100 अंक

टिप्पणी :– (क) प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का निर्धारण उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को **0.75** के गुणक से गुणा करके होगा। यथा– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे **60×0.75= 45** अंक दिये जायेंगे।

(ख) अधिमानता (Weightage) का लाभ न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(मनोज कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 15/खा०–15–05/2018/स्वा०, पटना, दिनांक – / /2025

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा) बिहार, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव।

482(15)
ज्ञापांक – 15/खा०–15–05/2018/स्वा०, पटना, दिनांक– 11 /04/2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/4/2025

सरकार के सचिव।